मानव-व्यापार फील्डबुक

बंधुआ मजदूर हस्तक्षेप हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.)

बंधुआ श्रम पीड़ितों के बचाव हेतु प्रक्रिया

1. <u>बंधुआ श्रम पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया: -</u>

चरण 1.1 बंधुआ मजदूर की पहचान- एन.जी.ओ. द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला प्रशासन बंधुआ मजदूरी प्रथा के होने की जांच करता है।

चरण 1.2 बंधुआ श्रम शिकायत दाखिल करना- जिला प्रशासन शिकायत स्वीकार करता है; पुलिस, ऐ.एच.टी.यु. या श्रम विभाग भी शिकायत स्वीकार कर सकते हैं परन्तु जांच करने से पहले जिला प्रशासन से समन्वय बनाना अनिवार्य है।

चरण 1.3 बंधुआ श्रम बचाव योजना तैयार करना- बचाव-दल (जिला प्रशासन, पुलिस, श्रम एवं राजस्व विभाग) बचाव-कार्य की तिथि एवं जिम्मेदारियों की रूप-रेखा तैयार कर एन.जी.ओ. के साथ बचाव पूर्व मीटिंग करते हैं।

चरण 1.4 बंधुआ श्रम बचाव की शुरुआत- जिला प्रशासन बचाव-स्थल पर जांच प्रक्रिया का क्रियान्वन एवं मुक्ति कार्य को अंजाम देता है, श्रम-विभाग पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करता है, पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। अगर बाल-श्रमिक भी शामिल हैं, तब धावा दल को भी सम्मलित करें।

चरण 1.5 बंधुआ श्रम बचाव स्थल सुरक्षित करना- पुलिस बचाव-स्थल को सुरक्षित करती है एवं किसी भी साक्ष्य को छुपाने या नष्ट होने से रोकती है; अगर बाल-श्रमिक हैं तो श्रम विभाग फैसिलिटी को बंद करती है।

चरण 1.6 बंधुआ मजदूरों को आरोपियों से अलग करना- पुलिस पीड़ितों को अभियुक्तों से अलग करती है एवं पीड़ितों को एक सुरक्षित खुले स्थान पर ले जाती है, पीड़ितों को बचाव कार्य का औचित्य समझाती है।

चरण 1.7 बंधुआ श्रम साक्ष्य एकत्रित करना- पुलिस साक्ष्य एकत्रित करती है (उपस्थिति रागिस्टर, बही-खाता, समझौता-पत्र इत्यादी) एवं पंचनामा/जप्ती सूचि तैयार करती है एवं बचाव-स्थल का नक्शा साक्ष्यों के हस्ताक्षर सहित तैयार करती है।

चरण 1.8 बंधुआ मजदूर बयान रिकॉर्डिंग करना- जिला प्रशासन एवं श्रम-विभाग पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करते हैं (अभियुक्तों की अनुपस्थिति में), विमुक्ति प्रमाण पत्र एवं विमुक्ति आदेश प्रदान करते हैं।

चरण 1.9 बंधुआ मजदूर को सुरक्षित स्थान पर ले जाना- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाये, पुलिस पीड़ितों की किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करे।

चरण 1.10 बंधुआ मजदूर मुक्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना- अगर चरण 1.8 के अंतर्गत विमुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं, तो जिला प्रशासन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी दुसरे स्थान पर विमुक्ति प्रमाण पत्र दे सकता है एवं साथ ही साथ सुरक्षा हेतु विमुक्ति आदेश, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं अन्य योजनाओं का लाभ भी दे सकता है।

चरण 1.1 बंधुआ मजदूर की पहचान	
समय-सीमा: बंधुआ मजदूर की पहचान करने की प्रक्रिया में 2 से 8 महीने तक का वक्त लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व के समर्थन में तथ्यों को इकठ्ठा और सत्यापित करना चाहिए।	अधिवक्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि जिन तथ्यों को इकट्ठा किया गया है वो बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 और अन्य संबंधित अपराधों के तहत बंधुआ मजदूर की कानूनी प्रकृति का समर्थन करते हैं।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन और/या अधिवक्ता निम्नलिखित स्रोतों में से एक से बंधुआ मजदूर की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: • पीड़ित या पीड़ित के परिवार/ समुदाय/ उत्तरजीवी; • गैर-सरकारी संगठन/ समुदाय के नेताओं; • जिला प्रशासन/ ग्राम पंचायत/ अन्य विभाग जैसे श्रम विभाग; • मानव व्यापार विरोधी इकाइयों (राज्य और जिला स्तर); • कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अपराध कि जानकारी हो; • मुखबिरों।	अधिवक्ता को पता लगाना चाहिए कि क्या इकट्ठा जानकारी से ऐसे समझौतों के अस्तित्व का पता चलता है जैसे की बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2 (G) में वर्णित हैं। अधिवक्ता को यह भी पता लगाने चाहिए कि यदि एकत्रित जानकारी से ऐसे मजबूर-परिस्थितियों के प्रकृति का पता चलता जैसे कि बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2 (जी) में वर्णित है। अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन प्रके तिनिधियों को सलाह देनी चाहिए की सूचना की रिपोर्ट तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को दे दें।

विचारणीय बिंदु

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी: यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि राजस्व संभागीय अधिकारी (आरडीओ) या अनुमंडल-पदाधिकारी (एस.डी.एम.)[1] के माध्यम से बंधुआ श्रम[2] की मौजूदगी के बाबत जानकारी लें। गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता की मुख्य भूमिका जिला प्रशासन का ध्यान बंधुआ श्रम की मौजूदगी की तरफ आकर्षित करने के लिए के लिए है।

क्षेत्र की पहचान: ऐसा क्षेत्र जहां बच्चे या महिलाएं फसाये जा रहे हैं उसकी पहचान करना महत्वपूर्ण है।

जानकारी का स्रोत:

बंधुआ मजदूर की घटना के बारे में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को इन साधनों के माध्यम से जानकारी मिल सकती है:

- ***स्रोत क्षेत्र:*** पीड़ितों और संभावित शिकार लोगों पर स्रोत क्षेत्रों से खुफिया जानकारी लीजिए। पीड़ितों में शामिल होते हैं कमजोर व्यक्ति, कमजोर समुदाय और कठिन परिस्थितियों आदि में फसे लोग। गैर सरकारी संगठन को सामुदायिक सदस्यों को प्रेरित एवं संवेदनशील करना चाहिए कि वे अनियमित रूप से पीड़ित के आवागमन पे नज़र रखें। पीड़ितों से साक्षात्कार से भी स्रोत क्षेत्रों में खुफिया जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है।
- ***पारगमन (ट्रांजिट) बिंदू:*** पारगमन के दौरान पीड़ितों और अपराधियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर टीम तैनात करें। पारगमन बिंदूओं में शामिल हैं बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आव्रजन/ सीमाओं पर कस्टम कार्यालय, पर्यटन स्थल।
- ***मांग क्षेत्रों:*** क्षेत्रों/ गतिविधियों पर खुफिया जानकारी लीजिए जहां बंधुआ मजदूरी की मांग अधिक है (जैसे ईंट भट्टों, पत्थर खदानों, कालीन उद्योग, कृषि भूमि, खानों, बिजली संयंत्र, निर्माण स्थलों, चीनी मिलों, चावल मिलों, कारखानों, घरेलू दासता आदि)।
- ***शत्रुता:*** निजी दुश्मनी या एक फैसिलिटी के मालिक और मुखबिर के बीच प्रतिद्वन्दिता बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए मदद कर सकती हैं।
- ***मीडिया रिपोर्टें:*** मीडिया रिपोर्टों से, अखबारों में विज्ञापन से प्लेसमेंट एजेंसियों, पार्लरों आदि के बारे में खुफिया जानकारी लीजिए।
- ***डेकॉय ऑपरेशन:*** सूचना डेकॉय ऑपरेशन चलाने से प्राप्त किया जा सकता है। एक डेकॉय कार्रवाई होती है जब एक व्यक्ति पहचान बदल कर फैसिलिटी में चला जाता है (इस व्यक्ति को एक 'डेकॉय' कहा जाता है) और बंधुआ मजदूरी और जहां यह संचालित किया जा रहा है की घटना के बारे में जानकारी सुरक्षित करने के लिए अपनी खुफ़िया पहचान का उपयोग करता है। डेकॉय किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित करने के लिए उपयोगी हो सकता है जो क़ी बचाव ऑपरेशन के लिए मददगार हो, जो इस तरह के ऑपरेशन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता।

[1] कर्नाटक में कुछ अधिकार- क्षेत्रों में इन्हे एस.डी.ओ. (अनुमंडल पदाधिकारी) या ए.सी. (सहायक-आयुक्त) कहा जाता है।

[2] कृपया बी.एल.ए. की धाराएँ स.10 से 12 को देखें जिसके माध्यम से राज्य सरकार डी.एम. को अधीनस्थ अधिकारियों जैसे की आर.डी.ओ. या एस.डी.एम. को बी.एल.ए. के प्रावधोंनो को लागू किए जाने के लिए को सशक्त करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

- किसको एक डेकॉय के रूप में नियोजित किया जा सकता है: पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि या किसी भी अन्य व्यक्ति को नियोजित किया जा सकता है, जो की एक डेकॉय के रूप में भेजे जाने के लिए तैयार है।
- कौन एक डेकॉय के वेश में काम कर सकता है: एक डेकॉय बिचौलिया, एक ठेकेदार, एक श्रम नियोक्ता, आदि के रूप में वेश धारण कर सकते हैं।
- डेकॉय को हिदायतें: डेकॉय को पीड़ितों की दुर्दशा और इस तरह के आपरेशनों को अंजाम देने में शामिल जोखिम पर अवगत होना चाहिए। डेकॉय को पीड़ित व्यक्ति के असुरक्षता के बारे में जानकारी दिया जाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए की न ही उसके या उसकी उपस्थिति से पीड़ित को कोई और आघात पहुचे और न ही वो उसकी परिस्थिति का लाभ ले। डेकॉय को ध्यानपूर्वक अभ्यास करना चाहिए की अलग-अलग परिस्थितियों जो उत्पन्न हो सकती हैं, वो उनका कैसे सामना करे।

पीडित प्रलेखन: दुर्व्यवहार की प्रकृति और मजबूर परिस्थितियों को समझने के लिए पीड़ितों के बयान लिया जाना चाहिए। अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पीड़ितों का बयान दर्ज कर लें। यदि संभव हो तो, पीड़ितों के हस्ताक्षर किए गए हलफनामों को सुरशित करें जो उनकी स्थिति बयान करता हो (जब कभी संभव हो पीड़ित के बयान की ऑडियो या विडियो रिकॉर्डिंग कर लें)।

मालिक के बारे में तथ्य की जाँच: मालिक के बारे में तथ्यों की जाँच को सम्मलित करें जिसमे उसके स्वभाव, उसकी पूर्ववृत्त और स्थानीय प्रशासन के भीतर उसकी पैठ के बारे में जानकारी मिले।

गोपनीयता बनाए रखें: पीड़ितों से संबंधित जानकारी, बचाव साइट जिनको खोजा जाना है और मालिकों से सम्बंधित जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों/ अधिवक्ताओं को आप्रासंगिक व्यक्तियों को आपरेशन के बारे में जानकारी का खुलासा कतई नहीं करना चाहिए।

वैध तरीके से सूचना का एकत्रण: इस प्रक्रिया में शामिल गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी एक वैध तरीके से और पीड़ितों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना इकट्ठा किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि वे कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं हैं और इसलिए वे किसी संपदा की जाँच करने के लिए, सामान या सबूतों को जब्त करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए या अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को रोकने इसके लिए अधिकारहीन हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने में अधिवक्ता को गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

पीड़ितों के बचाव तैयारी: घटना की जांच के बचाव-पूर्व चरण के दौरान पीड़ितों को बचाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और साथ ही बताना चाहिए की कैसे वे मजिस्ट्रेट के सवालों के जवाब दें। समय और बचाव की तिथि के संबंध में सूचना के मामले में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए अगर इसकी वजह से जानकारी लीक होती हो। बचाव से पूर्व पीड़ितों की तैयारी महत्वपूर्ण है जो एक सफल गवाही सुनिश्चित करने और पीड़ितों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे पीड़ित को बिना किसी तैयारी के सवालों का जबाब ना देना पड़े।

अगर गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/अधिवक्ता या मुखबिर बंधुआ श्रम में फँसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी किसी भी स्रोत से सुरक्षित करता है, तो वो संबंधित अधिकारियों में से किसी एक (डी.एम., एस.डी.एम., ए.एच.टी.यू., एन.एच.आर.सी. या पुलिस) को तुरंत सचेत करे। **<u>कृपया अपने दम पर एक बंधुआ मजदूर को बचाने के लिए प्रयास न करें।</u>**

एक बचाव के लिए अनुमति एवं डी.एम. / एस.डी.एम. / पुलिस की उपस्थिति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों की भी आवश्यकता है।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

बंधुआ मजदूरी की परिभाषा और अवधारणा - एक मजदूर बंधुआ है यदि:

a. अग्रिम राशी सुरक्षित करने के एवज में या एक कस्टम/ सामाजिक दायित्व के कारण, या परिवार से मिले दायित्व जो उसे उत्तराधिकार के कारण या अन्य आर्थिक हालत के माध्यम से या अनुसूचित जाति या समुदाय दायित्व की वजह से मजदूरी कर रहा है (समझौता तत्व);[3]

तथा

b. अगर कोई पुरुष या महिला कोई मजदूरी ना प्राप्त कर रहा हो/ न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त कर रहा हो या रोजगार की कोई स्वतंत्रता ना हो या यात्रा करने के लिए कोई स्वतंत्रता ना हो या कोई स्वतंत्रता ना हो जिससे वो अपने स्वयं के माल और सेवाओं को बाजार मूल्य पर बचे सके (मजबूर हालात वाले तत्व).[4]

बंधुआ मजदूर की परिकल्पना: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंधुआ मजदूर तब माना जा सकता है यदि कोई भी मजबूर परिस्थितियों के तत्व किसी भी रूप में वहाँ मौजूद हों क्योंकि तब समझौता तत्व स्वीकार्य रहेगा जब तक उसका सबूत के साथ खंडन ना किया जाय।[5]

---

3 बीएलए की धारायें: 2(g) (i)-(v)

शारीरिक शोषण का होना अनिवार्य नही: सुप्रीम कोर्ट ने ***लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए पीपुल्स यूनियन*** *बनाम* ***भारत सरकार***[4] के केस में कहा कि जबरन श्रमिक [बंधुआ मजदूर] का मतलब ज़रूरी नही की इसमे शारीरिक बल आवश्यक रूप से शामिल हो।

सतर्कता समितियों की भूमिका: सतर्कता समितियों की कार्य प्रणाली पता करने के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 14 पढ़ें और कैसे सतर्कता समिति किसी ज़िला/ अनुमंडल पदाधिकारी को सलाह दे सकती हैं जिससे की अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाये जा सके।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका: ***नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब भी बंधुआ मजदूर प्रणाली के प्रसार के बारे में किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा एक शिकायत डी.एम. को प्रदान की जाती है, यह डी.एम. का कर्तव्य है की उस गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को पूछताछ के लिए शामिल करें और जांच की रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को प्रदान करे।[5]

भारत में बंधुआ मजदूरी के बारे में और अधिक जानने के लिए कृपया अध्याय II E को देखें. भारत में बंधुआ श्रम पर कानून के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय IV C को देखें।

पीड़ित की तैयारी: जबरन श्रम व्यापार के अपराधों की जांच में यह जानने के लिए कि कैसे बचाव के समय में जवाब देने के लिए पीड़ित तैयार किया जाना चाहिए**, यू.एन.ओ.डी.सी. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)**[6] के अनुबंध 3 को देखें। यह ध्यान रखें कि पीड़ितों के बयान के आधार पर ही मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इसलिए पीड़ित को ये बताना ज़रूरी है की बंधुआ श्रम क्या है जिससे जब उनके बयान दर्ज हों, तब बंधुआ मजदूरों के बारे में पुख्ता सबूत नज़र आए। बचाव की तैयारी पीड़ित को बचाने से पूर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दस्तावेजों के नमूने और अभ्यास हेतु मदद सामग्री: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अन्य विवरण के साथ पीड़ितों के नाम और उन्हें भर्ती करने वाली एजेंसियों/ अपराधियों के दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक तैयार करने चाहिए। दस्तावेजीकरण मौके पर जांच के दौरान बंधुआ मजदूर की पहचान करने में एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करेगा। पूर्व बचाव प्रलेखन पत्र की एक प्रति **परिशिष्ट 1** में प्रदान की गयी है।

बाल श्रम: अगर बाल श्रमिकों की पहचान हो जाए, तो गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को जिला मजिस्ट्रेट/ अनुमंडल मजिस्ट्रेट/ ज़िला प्रशासन को श्रम विभाग के अधिकारियों को बचाव दल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बचाव के समय उपस्थित रहें एवं बाल श्रम (निषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रावधानों को लागू कराया जा सके।

चरण 1.2 बंधुआ श्रम की शिकायत दाखिल करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एकत्र तथ्यों का उपयोग करके बंधुआ मजदूर शिकायत जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के मातहत को प्रस्तुत करना चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर शिकायत पत्र की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की यह बंधुआ मजदूर बचाव की शुरुआत के लिए एक प्रेरक कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रही है एवं अधिवक्ता को जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के मातहत को शिकायत प्रस्तुत करने में गैर सरकारी संगठन की सहायता भी करनी चाहिए।
टिप्पणी	
एक बार जब गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि उन संस्थान में जहाँ पर बंधुआ श्रम की प्रथा चल रही हो के बारे में जानकारी एकत्रित कर लें, तब वे अपने अधिवक्ता की मदद से ड्राफ्ट तैयार करें एवं एक शिकायत या एक विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट ("डी.एम.") या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर डी.एम. या अधीनस्थ अधिकारी की अनुपलब्धता हो तो एक शिकायत स्थानीय पुलिस या मानव व्यापार विरोधी इकाई	गैर सरकारी संगठन की सहायता के लिए अधिवक्ता को लिखित शिकायत या विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना चाहिए। लिखित शिकायत में ज़रूर दर्शाए की बंधुआ मजदूर और संबंधित आपराधिक कानून के तहत किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले एक प्रयास जिला प्रशासन के समक्ष बंधुआ मजदूरी की शिकायत पेश करने के लिए किया गया है। किसी कारणवश अगर

4Ibid

5 बंधुआ मुक्ति मोर्चा एईआर 1984 एससी 802, पैरा 34

[5]ए.ई.आर. 1984 एस.सी.1099 निर्णय के प्रस्तर 4 और 6

[6] सन्दर्भ लें- स्क्रीनिंग उपकरण जो जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुबंध 3 के तहत मानव व्यापार के एक संभावित पीड़ित को पहचान में मदद करता है, (2008 प्रकाशन संयुक्त रूप से भारत सरकार और बी.बी.ए. के साथ) जिसका उल्लेख पृष्ठ 43 उपलब्ध पर है:
<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_-_Investigation_-_Forced_Labour.pdf>

को (अगर गठित हो) को की जा सकती है। हालांकि, पुलिस या ए.एच.टी.यू. के पास बंधुआ मजदूर की घटना की जांच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, शिकायत या एल.आई.आर. यदि पुलिस/ ए.एच.टी.यू. के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अधिवक्ता और गैर-सरकारी संगठन उन्हें ज़िला मॅजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करने और उसके द्वारा नामित प्राधिकारी के समक्ष जांच करने और बचाव के लिए समय पर उपस्थित होवे। एक बार शिकायत या एल.आइ.आर. जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर हो गयी है और अगर डी.एम. यदि स्वयं जांच करने में असमर्थ है तो वो पूछताछ करने के लिए राजस्व विभाग की ओर से एक अधीनस्थ अधिकारी को तैनात करेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार / उप-रजिस्ट्रार राजस्व विभाग की ओर से अधीनस्थ अधिकारी हो सकता है। यह ध्यान रखें कि बंधुआ मजदूरों के बारे में शिकायत सीधे एन.एच.आर.सी. के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है।	शिकायत जिला प्रशासन के समक्ष नहीं किया जा सकता है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस या ए.एच.टी.यू. के पास दर्ज करायी जाये और उनको तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत तैयार करने के लिए अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन की सहायता कर सकते हैं। यदि जिला प्रशासन शिकायत प्राप्त करने के लिए असमर्थ है, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे पुलिस / AHTU के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। हालाँकि, चूंकि वे पूछताछ करना उनका क्षेत्राधिकार नहीं है, अधिवक्ता सुनिश्चित करें की पुलिस कि तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें। NHRC के समक्ष भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसमें बंधुआ मजदूर कानून बंधुआ के कार्यान्वयन हेतु व्यापक शक्तियां हैं जब नौकरशाही या राज्य या जिला स्तर पर भ्रष्टाचार द्वारा व्यवधान डालने की कोशिश हो।

बिंदुओं को नोट करें

कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट (एल.आई.आर): कुछ संगठन कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट डी.एम. को एक शिकायत के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। इस तरह के रिपोर्ट में पीड़ित के नाम और अन्य विवरण, परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, जाति जिसके अंतर्गत मजदूर आता है तथा अन्य प्रासंगिक विवरण के साथ कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी को जागरूक करना चाहिए की सूची गोपनीय रखी जाए और ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए की जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुआ है उसकी एक रसीद प्रतिलिपि वे प्राप्त करें। रिपोर्ट की गोपनीयता इसलिए सुनिश्चित करनी चाहिए के वास्तविक बचाव हस्तक्षेप प्रक्रिया की भनक श्रम साईट मालिकों को ना होने पाए जिससे बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया जाए और अपराधियों को वास्तविक बचाव हस्तक्षेप के दौरान साइट पर गिरफ्तार किया जा सके। शिकायत/ एल.आई.आर पीड़ित के परिवार के नाम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी की शिकायत किसको प्रस्तुत कि जा सकती है?: एक शिकायत या एल.आई.आर डी.एम./ एस.डी.एम./ पुलिस/ ए.एच.टी.यू. या एसएचआरसी/ एन.एच.आर.सी. को प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि कोई भी बचाव कार्य जो की डी.एम./ एस.डी.एम. की मौजूदगी के बिना किया हो, व्यर्थ माना जायेगा क्योंकि बी.एल.ए. के तहत केवल डी.एम./ एस.डी.एम. को ही जाँच करने और कार्यान्वयन की देख-रेख का अधिकार है। इसलिए यह जरूरी है कि कानून प्रवर्तन एजेन्सी जैसे की पुलिस डी.एम./एस.डी.एम. के साथ बचाव का आयोजन के समय अवश्य समन्वय करें।

मानव व्यापार विरोधी इकाई (ए.एच.टी.यू.): मानव व्यापार के मामलों में बचाव के संचालन के लिए ए.एच.टी.यू. जिम्मेदार हैं। ए.एच.टी.यू. स्थानीय पुलिस की सहायता से ऑपरेशन का नेतृत्व कर सकता है। ए.एच.टी.यू. से तभी संपर्क किया जा सकता है, जब ये राज्य या जिला स्तर पर गठित किया गया हो।

स्थानीय पुलिस: पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी प्रभारी के लिए बंधुआ मजदूरी के बारे में शिकायत मिलने पर आवश्यकतायें किसी भी संज्ञेय अपराध के समान ही हैं। एक बार जब बंधुआ मजदूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास मामले की जांच करने की शक्ति है। पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के शिकायत को जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी के आगे प्रस्तुत करना चाहिए।

बाल श्रम पर राज्य/ जिला टास्क फोर्स: बंधुआ बाल श्रम के मामले में, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बाल श्रम के लिये गठित राज्य स्तरीय/ जिला स्तरीय टास्क फोर्स को सूचित करना चाहिए। यदि टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है तो गैर सरकारी संगठन जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।

एस.एच.आर.सी/ एन.एच.आर.सी.: सुप्रीम कोर्ट ने बी.एल.ए. के कार्यान्वयन की प्रगति कि निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.) को राज्य स्तर पर नियुक्त किया है। एक गैर सरकारी संगठन किसी भी समय एस.एच.आर.सी. या एन.एच.आर.सी. से संपर्क कर सकते हैं यदि जिला स्तर के अन्य अधिकारी शिकायत पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। एन.एच.आर.सी. के पास बंधुआ श्रम कानूनों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार है एवं विशेष रूप से जब नौकरशाही या भ्रष्टाचार की वजह से बाधाएं आ रही हों तो वह साथ काम करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सेवा कर सकते है।

उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय: यदि सभी उल्लेखित प्राधिकारी कार्य करने के में असफल हो, तो गैर सरकारी संगठन एक वकील से संपर्क को संपर्क करना चाहिए और अनुरोध करें कि वह पीड़ित के नाम पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दे।

प्राधिकारियों से संपर्क करने से पूर्व, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह करना चाहिए:

(i) निर्धारित करें की किस विभाग/अधिकारी से संपर्क करें (मामले की तात्कालिकता पर निर्भर करता है, अधिकारियों से उम्मीद की प्रतिक्रिया पर और मामले की गंभीरता को देखते हूए)

(ii) अपॉइंटमेंट लेने के लिए अधिकारी से संपर्क करें: अधिकारियों की बैठक के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं में निपुण होना चाहिए। यदि अधिकारियों को उस बारे में पता नही है तो बंधुआ मजदूरी पर सर्वोच्च न्यायालय की एक कानूनी मार्गदर्शन और निर्णय की नियम पुस्तिका ले जाना उपयोगी है।

अभिस्वीकृति (रिसीविंग): गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जहाँ तक संभव हो, लिखित रूप में जानकारी/ शिकायत प्रस्तुत करें और उसी दस्तावेज़ पर लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करें। यदि घटना की जानकारी लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, तब भी पुलिस अधिकारी को जानकारी मौखिक रूप से दी जा सकती है। अगर जानकारी मौखिक रूप से दिया जाता है तो पुलिस अधिकारी को इसे लिखित में दर्ज करें और इसे मुखबिर द्वारा हस्ताक्षर करवा लें। अधिवक्ता आगे यह भी सुनिश्चित करे कि अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को बचाव के सभी चरणों में शामिल किया है।

बंधुआ मजदूर की पहचान करने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका: अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिसमे बंधुआ मजदूरों के पहचान, रिहाई और पुनर्वास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है।

पीड़ित की अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुति: जब भी संभव हो, अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष पीड़ित को प्रस्तुत करना चाहिए। पीड़ित की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

कौन शिकायत कर सकते हैं: एक बंधुआ श्रम के बारे में शिकायत एक गैर सरकारी संगठन, बंधुआ मजदूर, सरकारी अधिकारी या तृतीय पक्ष द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इन्ही में से कोई व्यक्ति जानकारी का स्रोत हो सकता है [7]। पीड़ित या पीड़ित के परिवार का सदस्य भी मुख्य शिकायतकर्ता हो सकता है (ध्यान दें कि शिकायत पत्र बंधुआ श्रम के मौजूदगी के बारे में दी गई जानकारी को दर्शाता है और यह सी.आर.पी.सी.की धरा 2(D) के अंतर्गत दिए जाने वाले औचारिक शिकायत पत्र से से अलग है। एफ. आई आर. की पंजीकरण के लिए एक औपचारिक शिकायत जिला प्राधिकरण या पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाया जा सकता है। पीड़ितों को भी शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है। शिकायत शिकायतकर्ता के अलावा अन्य किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो शिकायत में लिखी जानकारी स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को समझाया जाना चाहिए।

बंधुआ श्रम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण: बी.एल.ए. के अनुसार बंधुआ श्रम के खिलाफ कार्रवाई को लागू करने के अधिकार डी.एम या डी.एम. द्वारा नामित किसी अधीनस्थ अधिकारी को है[8]।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन है: याद रखें बंधुआ श्रम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करती है[9]।

बंधुआ श्रम के लिए प्रासंगिक कानून: बंधुआ श्रम के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक कानून हैं: - बी.एल.ए., आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी., साक्ष्य अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जे.जे. अधिनियम और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (अगर पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और अपराधी नहीं है)। इनके अलावा अन्य दुसरे प्रासंगिक कानून हैं अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रम अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम , भवन निर्माण अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम हैं जिन कानूनों को तथ्यों और किसी मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करके लागू किया जा सकता है। कानूनी प्रावधानों जिनमे हमला, झूठी कारावास, अपहरण, बलात्कार और अन्य प्रावधान जो कि प्रासंगिक हो सकता है जोड़ा जा सकता है ।

बंधुआ श्रम हस्तक्षेप के लिए प्रासंगिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय **अध्याय V** में पाया जा सकता है।
नमूना दस्तावेजों और अभ्यास मदद: विभिन्न प्रासंगिक दस्तावेजों में शामिल हैं:

1. **कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट:** एक कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट के प्रारूप **परिशिष्ट 6** में पाया जा सकता है इस प्रारूप का इस्तेमाल डी.एम., पुलिस और किसी भी अन्य अधिकारियों को बंधुआ श्रम की शिकायत प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. **बंधुआ श्रम पहचान फार्म:** एक बंधुआ मजदूर की पहचान के प्रारूप **परिशिष्ट 7** में पाया जा सकता है।

3. **एन.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत:** एन.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप इसकी अपने वेबसाइट[10] पर प्रदान की गयी है। एन.एच.आर.सी के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज करें इस बारे में दिशा-निर्देश **परिशिष्ट 2** पर उपलब्ध करायें गए हैं. एन.एच.आर.सी के समक्ष शिकायत उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकृत भी किया जा सकता है। साथ ही शिकायतें

---

[7] खुफिया संग्रह पर दिशा निर्देश के लिए मजबूर श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया की धारा 3.1 के तहत, (2008 प्रकाशन संयुक्त रूप से भारत और बीबीए की सरकार के साथ), का पेज 13 पर संदर्भ लें
[8] नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आइ.आर. 1984 एस.सी. 1099

[10] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट देखें : **http://nhrc.nic.in/**

लिखित रूप में, पोस्ट या फैक्स द्वारा भेजा जा सकता है।

4. **एस.एच.आर.सी. के समक्ष**: एस.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायतें लिखित रूप में, पोस्ट से या फैक्स द्वारा भेजा जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए दिशा निर्देश के साथ-साथ एस.एच.आर.सी. के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रारूप परिशिष्ट 3 में प्रदान की गयी है।

5. **एन.एच.आर.सी. / एस.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत के लिए प्रारूप**: एन.एच.आर.सी. / एस.एच.आर.सी. के लिखित अभ्यावेदन की एक प्रारूप परिशिष्ट 2 एवं 3 में प्रदान की गयी है।

चरण 1.3 बंधुआ श्रम मुक्ति योजना की तैयारी	
समयसीमा: बचाव योजना बनाने की प्रक्रिया में 2 दिन लग सकते हैं	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एक बंधुआ मजदूर मुक्ति योजना की तैयारी करनी चाहिए।	अधिवक्ता को कानूनी प्रावधानों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित अवधारणाओं पर गैर सरकारी संगठन को सलाह देते हुए बंधुआ मजदूर बचाव योजना की तैयारी में सहायता करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर-सरकारी संगठन को दो अलग अलग प्रकार की बैठक करने की योजना बनानी चाहिए: (i) आंतरिक रणनीति बैठक; (ii) सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व-बचाव बैठक (i) **आंतरिक रणनीति बैठक:** गैर सरकारी संगठन के लिए आवश्यक है कि बचाव अभियान के लिए एक आंतरिक रणनीतिक योजना तैयार करे. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि अग्रिम में ही बचाव अभियान की योजना बनायें और आंतरिक रूप से एक मामले उजागर करने की बैठक आयोजित करें जिसमे बचाव अभियान के लिए आंतरिक योजना पर चर्चा करें। इस बैठक में गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह ज़रूर निर्धारित करना चाहिए कि कौन से सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को बचाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। योजना में बचाव कार्य के स्थान का विवरण शामिल करना चाहिए जैसे की बचाव स्थल प्रवेश और निकास स्थल, पनाहगाह ठिकाने, बचाव साइट का स्केच नक्शा आदि। बचाव-स्थल की तलाशी के दौरान (विस्तृत सर्वेक्षण) के दौरान उपरोक्त विवरण को ज़रूर ध्यान में रखना और संकलित किया जाना चाहिए। (ii) **सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठक:** गैर सरकारी संगठन को मामले की शुरुआती बैठक की तारीख से 2-3 दिनों के अंदर, कम से कम दो पूर्व बचाव बैठकों का आयोजन करना चाहिए। सर्वोत्तम तरीका ये होगा की राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों, पुलिस और बचाव दल की टीम कम से कम एक पूर्व -बचाव बैठक में एक साथ उपस्थित हो। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को सरकारी अधिकारी को बचाव से पूर्व शामिल होने वाले अधिकारीयों की एक बचाव बैठक रखने का अनुरोध करना चाहिए और उन सरकारी प्रतिनिधियों को निर्देशित करना चाहिए की वे पूर्व बचाव बैठक के लिए उपस्थित हों। यदि ये लगता है की प्रतिनिधिगण बंधुआ मजदूरी के मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, तो गैर सरकारी संगठन इस अवसर का लाभ लेते हुए इस बैठक के दौरान बंधुआ श्रम कानूनों और प्रक्रियाओं पर अधिकारियों को शिक्षित करने का अवसर ले लेना चाहिए। एक बार बचाव तिथियों का समय-सारणी सरकारी अधिकारी द्वारा तय कि जा चुका हो तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को एक और आंतरिक पूर्व बचाव बैठक का	अधिवक्ता गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के साथ मिलके काम करे जिससे की बंधुआ मजदूरी जांच की योजना ध्यानपूर्वक बनाई जा सके और यह सुनिश्चित करें कि बचाव अभियान योजना कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है। अधिवक्ता को आवश्यक रूप से निम्नलिखित प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी अधिकारियों को संक्षिप्त में वृतान्त करें: 1. शिकायत की प्राप्ति / कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट प्राप्ति 2. इसको गोपनीय बनाए रखना 3. विस्तृत जांच के लिए प्रक्रिया विभिन्न मुद्दों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों को जागरूक करना चाहिए। इस तरह के मुद्दें जिन पे चर्चा होनी है इनमे बंधुआ मजदूर के पहचान की प्रक्रिया एवं बंधुआ श्रम से जुड़े हुए मिथक और वास्तविकताओं को ज़रूर शामिल करें।

आयोजन करना चाहिए। कम से कम 2-3 सामरिक बैठकें सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित होनी चाहिए।	

विचारणीय बिंदु

शिकायत: पूर्व बचाव बैठक के दौरान, बंधुआ श्रम की घटनाओं पर जिलाधिकारी को या उनके किसी विधिवत अधिकृत अधीनस्थों को एक कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट या लिखित शिकायत दी जा सकती है। शिकायत तैयार करने में अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन की सहायता करनी चाहिए। मुख्य शिकायतकर्ता के रूप में या तो पीड़ित और पीड़ित के परिवार, जिला प्रशासन या पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं जैसा की 1.2 चरण के तहत बताया गया है। यदि शिकायत बाल श्रम के खिलाफ है, तो श्रम विभाग को मुख्य शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

बचाव की तारीख: बचाव की तारीख का निर्धारण डी.एम. और राजस्व विभाग**,** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर करते हैं। बचाव की तारीख के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह डी.एम. की जिम्मेदारी है कि बचाव के समय में श्रम विभाग को शामिल करे। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के नज़रिए से ये आदर्श होगा की शिकायत पत्र दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर बचाव तारीख निर्धारित किया जाए।

जोखिम का आकलन: बचाव में शामिल जोखिम को कम करने और रोकने के लिए, गैर सरकारी संस्था को व्यवस्थित जोखिम का मूल्यांकन और इसके तहत योजना बनानी चाहिए. विभिन्न संकेतों को जैसे की खोजबीन की जगह कहाँ स्थित है, तस्कर का प्रोफाइल और आरोपियों की सामाजिक स्थिति की जाँच की जानी चाहिए जिससे जोखिम का आंकलन हो सके। जोखिम को कम करने के लिए संभव प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में आपात योजना अत्यंत सावधानी के साथ बनाई जानी चाहिए। गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को आरोपियों की चल-अचल संपत्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । यह अधिकारियों के लिए जब्ती प्रक्रिया के दौरान उपयोगी जानकारी साबित हो सकती है

दल के नेता नियुक्त करें: दल के नेता की नियुक्ति करें जो रणनीति और बचाव के दौरान लिए जाने वाले कदमों को समझाए। दल के नेता को बचाव अभियान में भाग लेने वालों को भूमिका और जिम्मेदारी आवंटित करना चाहिए और वह संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए संपर्क का एक बिंदु होना चाहिए। प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करें जो की, बचाव साइटों के लक्ष्यित संख्या और पीड़ितों की संभावित संख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक समूह के लिए दल के नेता की नियुक्ति करें। सभी प्रतिभागियों के नाम और संपर्क विवरण, टीम के नेता, भूमिकाओं और प्रत्येक समूह की जिम्मेदारियों को साझा करें।

बंधुआ श्रम कानून से परिचित: बचाव में भाग लेने के लिए पहले, बचाव दल के सदस्यों को बंधुआ/ बेगार और प्रासंगिक कानूनों पर क़ानूनी स्थिति के बारे में खुद को परिचित कर लेना चाहिए।

टीम की गैर-भागीदारी: किसी भी परिस्थिति में जो टीम पहचान/ सत्यापन/ खुफिया जानकारी जुटाने में जुटी हो उसे बचाव कार्य में शामिल नही किया जाना चाहिए।

बचाव पूर्व जांच सूची:

- **बचाव किट तैयार करें**: किट में शामिल हैं लेखन सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पीने के पानी, नमकीन), प्राथमिक चिकित्सा किट, वाहन, प्रिंटर और कार्टरिड्ज, लैपटॉप और चारजर, संदर्भ सामग्री जैसे की इस तरह के मामले में कानून और अधिकारिक अधिनियम, उन जिलों, गांवों, पुलिस स्टेशनों के नाम जहाँ पीड़ितों का निवास स्थान हो। किट में कपड़े, नहाने -धोने का सामान, खाना, पीने का पानी, कार्य-पुस्तिका, क्रेयोंस रंगीन पेन्सिल्स भी शामिल करें(अगर बचाव गए पीड़ितों में बच्छे भी हों). यह सब सामान जुटाने के लिए चिन्हित व्यक्ति की नियुक्ति बचाव की तिथि से अग्रिम ही कर लें।

- **आश्रय गृह को सतर्क करें:** बचाव के स्थान पर सरकार संचालित/गैर-सरकारी संगठन संचालित विश्वसनीय आश्रय घरों को संभावित बचाए जाने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, तारीख के बारे में और कब आश्रय घरों के लिए लाया जाने की संभावना के बारे में सतर्क करें।[11] इस बात को सुनिश्चित करें कि गैर सरकारी संगठन संचालित आश्रय घरों को सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इसे संपूर्ण गोपनीयता में किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान के बारे में जानकारी रिसाव नहीं हो। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के लिए य यह महत्वपूर्ण है की वे विश्वसनीय आश्रय घरों की पहचान करें और एक डेटाबेस को बनाए रखें। इस तरह के एक सूची गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से जिला मजिस्ट्रेट/ सी.डब्ल्यू.सी को प्रदान करें और अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों के बचाव के बाद उन्हे विश्वसनीय आश्रय घरों में भेजा जाये। गैर सरकारी संगठन विश्वसनीय आश्रय घरों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करे जिसके लिए जब भी संभव हो आपसी समझ समझौता हस्ताक्षरित करे। इसके अलावा, जहां आश्रय घर उपलब्ध नहीं हैं वहाँ रहने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट को संपर्क करें। अगर तुरंत छुड़ाए गये लोगों के लिए आश्रय घरों की व्यवस्था नही हो पाती है, तो इस बात को ध्यान से सुनिश्चित करना चाहिए कि जिलाधिकारी उनके प्रवास और सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे।
- **बचाव टीम की सुरक्षा:** सुनिश्चित करें कि जिला मजिस्ट्रेट बचाव अभियान के व्यापकता के आधार पर पुलिसकर्मी को शामिल करे। संवेदनशील या उच्च जोखिम वाले स्थानों के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के साथ अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद रहें। किसी भी परिस्थिति में बचाव संचालन

[11] यह बंधुआ बाल श्रम से संबंधित हस्तक्षेप के लिए लागू है या जहाँ पर बच्चे उनके माता-पिता के बिना बंधुआ मजदूर सुविधाओं पर कार्यरत हैं।

पुलिस संरक्षण के बिना नहीं करना चाहिए। जिला प्रशासन को बचाव के आकर के आधार पे प्रासंगिक संख्या में पुलिस की उपस्थिति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- **स्वैच्छिक निकास:** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ये निर्धारित करना ज़रूरी है कि क्या चिन्हित बंधुआ मजदूर कार्यस्थल को छोड़ना चाहते है या नही। अगर मज़दूर छूटना नही चाहते हैं, तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मज़दूरों को कानून के तहत अपने अधिकारों के और हकों के प्रति जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि मजदूर के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि मजदूरों को छुड़ाने के लिए कोई दबाव ना डाला जाए और ना ही कोई झूठी जानकारी दी जाए। जानकारी को शिष्टता, संवेदनशीलता और सही तरीके से लिया जाए।
- **शिकायतकर्ता की सुरक्षा:** बंधुआ मज़दूर शिकायतकर्ताओं के बचाव एवम् सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

उपयोगी सवालों से परिचित होना:
बचाव में भाग लेने वाले गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले, पूछे जाने वाले सार्थक सवालों से खुद को परिचित करना चाहिए । सुनिश्चित करें कि आप नाम को सही ढंग से रिकॉर्ड करें और आप पीड़ित की मूल भाषा से परिचित हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ित अपने नाम का उच्चारण यदि 'गुड्डू' करे तो पीड़ित से ये स्पष्ट करें कि किसी पहचान पत्र पर भी यही उसका असली नाम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुक्ति प्रमाणपत्र में और पहचान पत्र में दर्ज पीड़ितों के नाम एक समान हैं।

अधिवक्ता अधिकारियों को ध्यान दिलाए: बंधुआ मजदूर की पहचान उजागर करने के लिए अधिकारियों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बिंदुओं को अधिवक्ता को प्रदर्शित करना चाहिए,[12] जैसे कि:-

- बेगार श्रम में जरूरी नही है कि शारीरिक बल का ही प्रयोग हो।
- बंधुआ मजदूर किसी भी उम्र का हो सकता है।
- बंधुआ मज़दूरी किसी भी अवधि की हो सकता है।
- बी.एल.ए. कोई भी दस्तावेजी सबूत निर्धारित नहीं करता है।
- बंधुआ ऋण के किसी भी दावे का खंडन करने के लिए साबित करने का भार मालिक पर है।[13]
- श्रम विभाग नियोक्ता/ मालिक के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं विशेष रूप से बाल श्रम के मामले में।

गैर सरकारी संगठन की सहायता कर रहा अधिवक्ता गवाह नही बन सकता है: गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता जो विचरण के स्तर पर लोक अभियोजक की सहायता करेंगे, उनको बचाव के समय में गवाह नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सलाह दी गई है कि एक और अधिवक्ता को बचाव के समय पर उपस्थिति होना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो कि जो अधिवक्ता विचरण में सहायता करेंगे वह गवाह नहीं बने हैं । अधिवक्ता जो विचरण के चरण में सहायता करेगा उसे बचाव में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

और जानें और कार्रवाई करें

क्या बिना एस.डी.एम./ डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के पुलिस और एक मानव व्यापार रोधी यूनिट या सी.बी.आई. बचाव कार्य संचालित कर सकती है?

हाँ, पुलिस या ए.एच.टी.यू. बिना एस.डी.एम./ डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के एक बचाव संचालित कर सकते हैं। हालांकि, एस.डी.एम./ डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के बिना किया गया कोई भी बचाव बेकार जाएगा क्योंकि केवल डी.एम./ एस.डी.एम. (या नामित श्रम अधिकारी) को ही बी.एल.ए. के तहत पूछताछ के आचरण या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति है।[14]

बिहार और उत्तर प्रदेश में श्रम बंधुआ: बिहार और उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की समस्या के बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय II को देखें।

दस्तावेजों के नमूने और मदद की कार्य प्रणाली: विभिन्न प्रासंगिक दस्तावेज में शामिल हैं:

1. पूर्व बचाव बैठक योजना का प्रपत्र का एक नमूना **परिशिष्ट 4** में प्रदान किया गया है जिसमे प्रत्येक सदस्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान की गयी है।

2. बंधुआ श्रम की मिथकों और वास्तविकताओं, जो कि सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है पर अधिक

---

[82] जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया की धारा 2.3 के तहत कौन बंधुआ मजदूरी का पीड़ित है (भारत और बीबीए की सरकार के साथ 2008 प्रकाशन संयुक्त रूप से), इस बारे में जानकारी के लिए देखें पेज 11

[13] बीएलए की धारा 15

[14] चरण 5 की धारा 4.1 के तहत (कदम जो उठाए जा सकते हैं).

जानने के लिए **परिशिष्ट 5** को देखें।

3. **परिशिष्ट 7** बंधुआ श्रम पहचान रूप के लिए एक प्रारूप है, जिसमे बंधुआ मजदूर की स्थितियों की पहचान करने के लिए पूछे जाने वाले उपयोगी सवालों की एक सूची शामिल है।

चरण 1.4 बंधुआ श्रम मुक्ति की शुरुआत	
समयसीमा: बचाव जिसमे घटना स्थल पर बैठक के साथ बचाव संचालन शामिल है, में एक दिन का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूर के मुक्ति के लिए मुक्ति योजना अन्य हितधारकों के साथ आरंभ करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर मुक्ति में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून के अनुसार किया जा रहा है।
टिप्पणी	
बचाव के लिए पहले से मुलाकात: बचाव दल के सदस्यों जिसमे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हों, उनको बचाव करने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले एक आम स्थान पर मुलाकात करनी चाहिए। **टीम लीडर को रणनीति, बचाव योजना और भूमिकाओं को दोहराना:** टीम लीडर को रणनीति समझानी चाहिए जो कि बचाव कार्य और उस दौरान इसके विभिन्न चरणों के लिए अपनाई जाएगी। टीम लीडर को बचाव कार्य में प्रत्येक टीम के सदस्य की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को बतलाना चाहिए और कोई भी संदेह हों तो दूर करना चाहिए। एक निगरानी टीम जिसमे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हों, को तैनात किया जाना चाहिए जो बचाव की जगह के पास एक स्थान पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चेतावनी के बारे में जानकारी प्रदान करे।	जैसा की नीचे दिए गए चरणों में वर्णित है, अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यह सुनिश्चित करके कि बचाव अभियान में प्रचलित कानूनों के अनुपालन किया गया है और सफल रहा है।

ध्यान देने के बिंदु

जांच की शुरुआत: डी.एम./ एस.डी.एम. बंधुआ श्रम की घटना की जांच की शुरुआत बचाव स्थल से ही शुरू करते हैं ।

डी.एम. / एस.डी.एम. ही पहचान करेंगे की कौन बंधुआ मजदूर हैं - यह डी.एम. / एस.डी.एम. ही हैं जो पहचान करेंगे की कौन बंधुआ मजदूरों हैं और किसी भी शिकायत / कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट के आधार पर केवल वही एक जांच का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं।

कौन बचाव के लिए जाएगा?: आदर्श रूप में बचाव टीम की संरचना वयस्क बंधुआ मजदूर बचाव के मामले में इस प्रकार होना चाहिए:

• जिला प्रशासन से कम से कम एक अधिकारी (एस.डी.एम. / एस.डी.ओ., तहसीलदार या किसी अन्य राजस्व अधिकारियों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित किया गया है),

• पुलिस विभाग के अधिकारी और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करता है)।

• बाल श्रम बचाव के मामले में, बचाव दल में बाल श्रम पर टास्क फोर्स के सदस्य जिसमे कम से कम एक अधिकारी श्रम विभाग से, जिला प्रशासन (एस.डी.एम./ एस.डी.ओ., तहसीलदार या किसी अन्य राजस्व अधिकारियों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित हो), पुलिस विभाग से अधिकारी, और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करता है) को बचाव टीम में शामिल करना चाहिए।

• बचाव दल भी पर्याप्त रूप से (महिला पीड़ित के मामले में) महिला सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

पुलिस के लिए जाँच सूची:

गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को जिला अधिकारियों और उनके साथ बचाव अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों के लिए एक जांच सूची प्रदान करनी चाहिए। जांच सूची में प्रत्येक अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को शामिल करना चाहिए।

मीडिया को शामिल करना:

बचाव के सफल समापन के बाद ही मीडिया को शामिल करना चाहिए, क्योंकि सूचना की पूर्व जानकारी देने से सूचना लीक हो सकती है। हालाँकि बंधुआ मजदूरों की रिहाई के संबंध में मीडिया को सम्मिल्लित करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए चाहिए:

- सही तथ्यों को ही बताए। जब भी संख्या को बताना हो तो सूत्र की जानकारी देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दी जाने वाली खबर को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

- एक संगठन मीडिया नीति मसौदा तैयार करे जिसमे उन प्रतिनिधियों के नाम प्रदान करें, जो मीडिया से बात करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि एक अनुभवी व्यक्ति को मीडिया से बात करने के लिए नामित किया जाए।

- जब कभी गलत तरीके से उद्धरण किया जाए तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भूल की सुधार के लिए लिखित रूप से अनुरोध करना चाहिए।

- मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा उपयोगी रहता है।

- बंधुआ मजदूरी पर कहानियों को साझा करने का उद्देश्य हमेशा ही जागरूकता पैदा करना, बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने, जनता की राय को आकार देना और बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। कहानियाँ देते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहानी को कोई राजनीतिक रंग प्राप्त ना हो।

- गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया घरानों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने जिलों में मीडिया की एक आंतरिक डेटाबेस तैयार करना उपयोगी साबित होता है।

- यदि उत्तरजीवी / पीड़ित असहज महसूस करते हैं और अपनी कहानी को साझा नहीं करना चाहते हैं तो मीडिया को कहानी मत बताइए। सामर्थ्य के अंतर अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए क्योंकि सहमति के विचार का मतलब हो सकता है कि पीड़ित बिना निहितार्थ को समझे और बिना स्थिति से आश्वस्त हुए शायद सहमति प्रदान कर रहा है। पीड़ितों और उनके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी का खुलासा न करें (जैसे नाम, फोटो या घर के गांवों के रूप में) जिससे कि पीड़ित खतरे में पड़ जायें।

- गैर सरकारी संगठन को बच्चों पर रिपोर्टिंग के मामले में मानक अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के साथ खुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए।

- कभी भी पीड़ित / उत्तरजीवी से सहमति प्राप्त किए बिना कोई कहानी साझा ना करें। एक सहमति फार्म को बनायें और उनके हस्ताक्षर या थंबप्रिंट लेने से पहले पीड़ित / उत्तरजीवी को पढ़ के समझाएँ।

यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को शामिल करने से कोई बचाव ख़तरे में तो नही पड़ेगा।
- सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ित / उत्तरजीवी को उनकी कहानियों बताने के लिए कभी विवश या मजबूर नहीं करना चाहिए।
- कहानी को प्रकाशित करने से पूर्व पीड़ित की सहमति ज़रूर लेनी चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाव के दौरान महत्वपूर्ण रणनीतियाँ[15] : बचाव अभियान चलाने की प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित करें कि बचाव दल सामरिक क्षेत्रों को घेर ले, प्रवेश और निकास बिंदुओं को कब्जा कर ले, छुपने के स्थानों की जानकारी ले और सुरक्षित स्थान की पहचान करे जहाँ बचाए हुए लोगों को रखा जा सकता है।

नमूना दस्तावेजों और अभ्यास मदद: बंधुआ मजदूर हस्तक्षेप के बारे में एक अधिवक्ता का बचाव चेकलिस्ट को परिशिष्ट -**1** में देखा जा सकता है। इस दस्तावेज का उल्लेख अधिवक्ता और गैर-सरकारी संगठन सरकारी अधिकारियों की सहायता करने के लिए बचाव अभियान के पहले, दौरान और बाद में कर सकते हैं।

विभिन्न एजेंसियों की भूमिका:

प्रशासन (डी.एम./ एस.डी.एम./ तहसीलदार): शिकायत प्राप्त होने पर, डी.एम./ एस.डी.एम./ तहसीलदार एक तत्पर जांच करने के लिए एक टीम का गठन करें जिससे कि बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और पुनर्वास कार्य हो। वे स्थानीय पुलिस अधिकार को एक एफ.आई.आर. दर्ज करने और अपराध की जांच करने का भी निर्देश देंगे। डी.एम./ एस.डी.एम. बी.एल.ए. के प्रावधानों के

[15] धारा 4.1 के तहत चरण 2 (कदम जो उठाए जा सके हैं है), यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन)

तहत सारांश ट्रायल संचालित करेंगे।

श्रम अधिकारी: श्रम अधिकारी जाँच के दौरान डी.एम./ एस.डी.एम./ तहसीलदार की सहायता करेंगे और मजदूरों के बयान दर्ज करेंगे जिससे कि विभिन्न श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधानों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों कर्मकार अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, समान पारिश्रमिक आदि राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, आदि का भुगतान के उल्लंघन के लिए अभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

पुलिस अधिकारी: संबंधित पुलिस अधिकारी का कार्य जांच अधिकारी की सहायता करना, साथ मौजूद रहना और जांच के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखना है। उनका कार्य मौके पर खोज, जब्ती का संचालन और सबूत इकट्ठा करना है। वे संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और जाँच का कार्य करेंगे।

सतर्कता समिति के सदस्य: सतर्कता समिति के सदस्यों का कार्य जांच अधिकारी की सहायता करना और साथ में मौजूद रहना है।

एन.एच.आर.सी.: एन.एच.आर.सी. के समक्ष घटना स्थल की जाँच, बचाव और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के बारे में शिकायत सीधे दायर की जा सकती है। एन.एच.आर.सी. को ये सुनिश्चित करना है कि स्थानीय प्रशासन विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें।

चरण 1.5 बंधुआ श्रम बचाव साईट सुरक्षित करना	
समयसीमा: बचाव साईट सुरक्षित करने में 1 दिन का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को पुलिस की सहायता करनी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए की बचाव साइट सुरक्षित की गयी है और कोई मुख्य सबूत गवाँया नही गया है।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और पुलिस को (यदि आवश्यक हो) बचाव साइट को सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि पुलिस कर्मियों की मदद से आरोपियों को बचाव की जगह[16] से इनक्रिमिनेटिंग सबूतों को छुपाने या हटाने में, या पीड़ितों को बचाव की जगह से हटाने, या एक भीड़ को एकत्रित करके सबूत को नष्ट करने की कोशिश करने से आरोपियों को रोक सकता है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिसकर्मी तुरंत बचाव साइट[17] की परिधि को कब्ज़े में लें और इसमें किसी तीसरे पक्ष को अंदर आने से सुरक्षित रखें। जानकारी के बाहर जाने से रोकने के लिए, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पुलिस को सलाह देनी चाहिए की ठेकेदारों, पीड़ितों, आदि के मोबाइल फोन को अपने हिरासत में ले लें।	अधिवक्ता को जांच स्थल को सुरक्षित करने के लिए गैर सरकारी संस्थान और पुलिस की सहायता करनी चाहिए। यदि बचाव में अधिवक्ता भाग नहीं लेता है तो अधिवक्ता का बचाव अभियान के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सरकारी संस्थान को सलाह देनी चाहिए।

चरण 1.6 आरोपियों को बंधुआ मजदूरों से अलग करना	
समयसीमा: आरोपी से बंधुआ मजदूरों को अलग करने की प्रक्रिया बचाव वाले दिन ही पूरी कर लेनी चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अपराधियों से बंधुआ मज़दूरी के पीड़ितों को अलग करने और उन्हें घटना की साइट पर एक खुले क्षेत्र में ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस को इस प्रक्रिया में सलाह यदि आवश्यक हो प्रदान करनी चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को बंधुआ मजदूर से अलग करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को पुलिस की मदद करके तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी से पीड़ितों का उत्पीड़न और धमकी को रोकने के लिए उन्हे फ़ौरन अलग किया जाए।	अधिवक्ता गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को अवश्य बताएँ कि इस प्रक्रिया के दौरान वे किसी भी व्यक्ति पर हिंसा और बल का प्रयोग ना करें।

[16] धारा 4.1 के तहत चरण 2 (कदम जो उठाए जा सकते हैं), यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन)

एक खुले क्षेत्र में पीड़ितों को एकत्रित करें और मजदूरों की संख्या परिवार के अनुसार व्यवयस्थित करें।	अधिवक्ता को पीड़ितों और सरकारी टीम को सुरक्षित हटाए जाने में और खुले इलाक़े में सुगम जगह प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

बिंदुओं को नोट करें
पीड़ितों के लिए प्रथम प्रतिक्रिया: पीड़ितों को अलग करते समय और उन्हें एक सुरक्षित ऑनसाइट पर लाते समय यह सुनिश्चित करें कि उन्हे सूचित किया जाए कि यहाँ पर क्या कार्यवाही चल रही है, क्यों पुलिस और अन्य लोगों सुविधा-केंद्र पर आए हैं, और क्यों उन्हे मुक्त कराया जा रहा है। [18] **पीड़ितों को खुले क्षेत्र में ले जाना:** गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को एक खुले क्षेत्र में एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा हो तो उस समय आरोपी उपस्थित ना हों।

चरण 1.7 बंधुआ मजदूर के साक्ष्य का एकत्रीकरण
समयसीमा: आदर्शतः बंधुआ मजदूर के बारे में सबूत जुटाने की प्रक्रिया को बचाव के एक ही दिन के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, जो कि मुक्त कराए गये मजदूरों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है ।

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ मजदूर के अस्तित्व से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य को इकट्ठा करे।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के विषय में सबूतों को कानूनी रूप में संग्रह करने की सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस पंचनामा/ जब्ती ज्ञापन में सभी उपलब्ध साक्ष्य को शामिल करे।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे संभावित सबूत जिसमे स्वामित्व या किरायेदारी संबंधित दस्तावेज़, खातों, खातों की पुस्तकों, बिजली बिल, टेलीफोन, पानी और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगर निगम के कर प्राप्तियों, यात्रा दस्तावेज और अन्य भौतिक सबूत, लाइसेंस या किसी उपयुक्त अधिकारियों का अनापाति प्रमाणपत्र, खतरनाक वस्तुओं, उपकरण, आदि (यदि हो तो) जिनसे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया जाता हो, उसे गवाहों/ स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा एकत्रित कर लिया जाए।	अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य के संग्रह के संबंध में संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को स्वयं महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल नही करना चाहिए। अधिवक्ता को गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बचाव की प्रक्रिया के दौरान वे किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक बल और हिंसा का उपयोग करने से परहेज करें। अधिवक्ता ये सुनिश्चित करे (यदि बचाव में उपस्थित हो तो) या गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दे कि पुलिस मौके पर गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा/ जब्ती ज्ञापन और साइट मानचित्र तैयार करे जो कि गवाहों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए जाए। जो अधिवक्ता एक गवाह के रूप में शामिल किया जाता है, वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी सलाहकर के रूप में नहीं कर सकता है।

विचारणीया बिंदु
गवाह: बचाव टीम का साथ देने वाले गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता को खोज और जब्ती के प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र गवाह बनाया जा सकता है। **पूरे बचाव स्थल को खोजें:** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव स्थल की पूरी तरह से जाँच की गयी है और कहीं पीड़ितों को बक्से, आटिक्स, शौचालय, केबिन, बंद कमरे आदि में तो छिपा

[18] धारा 4.2 के तहत 2, यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन)

कर नही रखा गया है। गैर सरकारी संगठन मुक्त किए गये व्यक्तियों की मदद छिपाये गये पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और अन्य आपतिजनक सामग्री ढूँडने के लिए ले सकते हैं।

पुलिसे और सरकारी अधिकारियों को गवाह बनाना सुनिश्चित करें: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बचाव में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को गवाह बनाया जाए।

महत्वपूर्ण सबूत की सूची एकत्र करना: बचाव अभियान से पहले महत्वपूर्ण सबूत की सूची से खुद को परिचित करें जिससे कि आपको जानकारी हो की किस तरह के सबूतों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। इस सूची को आप बचाव के समय उपस्थित पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों को सहायता: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों / अधिवक्ता साक्ष्यों के संग्रह के दौरान पुलिस अधिकारियों की केवल सहायता कर सकते हैं और स्वयं इसे उपार्जित नहीं कर सकते।

और जानें और कार्रवाई करें

महत्वपूर्ण सबूत के संरक्षण: महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे की खाते किताबें, व्यापार रिकॉर्ड और अन्य प्रसंगिक दस्तावेज़ों के संरक्षण में गैर सरकारी संस्थान पुलिस की सहायता कर सकता है। वे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को अध्ययन करके एक नोट बनाने के साथ तस्वीरों भी ले सकते हैं जो कि अपराधियों को प्रासंगिक दस्तावेज को छुपाने और नष्ट करने से रोकने में सहायता कर सकता है यदि पुलिस इस तरह की सामग्री को अग्रिम औपचारिक जांच के दौरान जब्त करने के लिए वापस आना चाहे तो।

क्या साक्ष्य एकत्र किया जा सकता है? क्या सार साक्ष्य एकत्रित करने की जरूरत है और जाँच के दौरान इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए परिशिष्ट 8 को उद्घृत करें। परिशिष्ट का उल्लेख लेने के बाद, एक सामग्री सूची बनाए जो कि बंधुआ श्रम के जांच और सुनवाई के दौरान प्रासंगिक होगा।

चरण 1.8 बंधुआ मजदूर के बयान का रेकॉर्डिंग

समय: बयान दर्ज बचाव के ही दिन पर किया जाना चाहिए

गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी से पीड़ित लोगों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सरकार के अधिकारियों को बंधुआ मजदूर के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले प्रारंभिक सवालों पे सलाह देनी चाहिए और पीड़ितों को उनके बयान की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से पहले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए की प्रारंभिक जांच को तत्काल और एक सुरक्षित वातावरण में आयोजित करें। गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को पीड़ितों को अधिकारियों के समक्ष किसी भी भय के बिना बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जांच पीड़ितों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को अधिकारियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को एस.डी.एम./ श्रम अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि बयानों से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले जैसे क़ी: 1. आपकी मजदूरी कितनी हैं? 2. अग्रिम / ऋण के रूप में कितना प्राप्त किया गया है? 3. किस प्रणाली से ऋण को चुकाया जाता था? 4. कितने समय से वे मलिक के यहाँ पर सेवा कर रहा है? 5. क्या उनके साथ दुर्व्यवहार और / या मारपीट की गई? 6. आप और कहीं काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? 7. क्या आप अपने अग्रिम भुगतान को अदा किए बिना छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं? पीड़ितों को निर्भीकता और सच्चाई से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकारी अधिकारियों को दुर्व्यव्यहरों के प्रकार के बारे में विशेष रूप से जानकारी दें और यौन शोषण,	अधिवक्ता को बचाव दल के अधिकारियों को पीड़ित से पूछे जाने वाले प्रारंभिक सवालों पर सलाह देनी चाहिए जिससे की बंधुआ मजदूर परिस्थितियों के अस्तित्व का निर्धारण किया जा सजके। इसमें शामिल है: • क्या आपने एक अग्रिम ले लिया है? • क्या आप कहीं और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या आप अपनी अग्रिम भुगतान को वापसी के बिना छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं? • आपकी मजदूरी कितनी हैं? • क्या आप के साथ दुर्व्यवहार और/ या मारपीट की गई है? अधिवक्ता को पीड़ित को, उनके बयान दर्ज होने से पहले, अनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए चाहिए। अधिवक्ता को तुरंत मजदूरों को सूचित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम अवैध है और उनके पास दासता से मुक्त होने का कानूनी अधिकार है। अधिवक्ता को मजदूरों को आश्वस्त करना चाहिए कि कानून के तहत उनके मालिक से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अधिवक्ता को अन्य अपराधों जैसे की अपहरण, मारपीट और यौन शोषण, के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे की क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों को अभिमंत्रित किया जा सके जिनका उल्लंघन किया गया है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जांच का ध्यान क्या निम्नलिखित मौजूद जबरन श्रम परिस्थितियों के आधार पर केंद्रित है: • मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी

शारीरिक शोषण, मौखिक दुरुपयोग, अपहरण जैसे अपराधिक कृत्य जो कि बंधुआ मजदूरों की परिस्थितियाँ से जुड़े हुए हैं उनकी पहचान करने में सहायता करें।	• रोजगार और आवागमन की स्वतंत्रता प्रतिबंधित बाजार मूल्य पर संपत्ति या उत्पाद बेचने का अधिकार पर प्रतिबंध

विचारणीया बिंदु

जांच के चरण: बचाव की परिस्थितियों के आधार पर जाँच निर्धारण किया जाएगा कि या तो:

i. **पूरी तरह बचाव की साइट पर हो:** इस मामले में, पूछताछ और बयान (चरण 1.8 और 1.10) बचाव के स्थल पर दर्ज होंगे, जिसके बाद मुक्त कराए व्यक्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा (चरण 1.9)

ii. **बचाव और साइट से अलग स्थल पर**: इस मामले में, एक प्रारंभिक जांच बचाव के स्थल पर आयोजित किया जाता है जिसमें राजस्व विभाग के एक अधिकारी/ तहसीलदार बंधुआ मजदूरों की परिस्थितियों के बारे में सवाल पूछेंगे, और उसके उपरांत जाँच स्थल से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्रित किया जाता हैं. तदोपरान्त बचाए मजदूर (चरण 1.8) को एक सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किया जाता है (चरण 1.9) जहां उनके बयान दर्ज होंगे और मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा (चरण 1.10).

जब एक बचाया गया व्यक्ति 18 साल की उम्र से कम है:

एक बंधुआ मजदूर के केंद्र से बचाए गए बच्चों की अनिवार्य उम्र निर्धारण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। हालांकि, इस तरह की सुविधा-केन्द्रों से बचाए गए बच्चों को आम तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जाता है:

i. **बच्चे जिनको उनके माता पिता/ अभिभावक के साथ मुक्त कराया हो:** अगर बच्चे को उसकी/ उसके परिवार के साथ मुक्त कराया जाता है, तो बच्चा साथ ही रहेगा और उसके परिवार के साथ ही मुक्त किया जाएगा जाएगा।

ii. **माता-पिता / अभिभावक को बिना मुक्त कराया गया बच्चा:** उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए जब ऐसे बच्चे को मुक्त कराया जाता है जो कि उस केंद्र में अपने माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में काम कर रहा है। ऐसे मामले में, जहां बचाया गया व्यक्ति एक बच्चा है, जो कि श्रम कानूनों के उल्लंघन में ऐसे सुविधा-केंद्र पर अपने माता-पिता या अभिभावक के अनुपस्थिति में कार्य कर रहा है, ऐसे बच्चे को "बच्चे जिसे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है" के रूप में धारा 2 (14) (ii) जे.जे. अधिनियम में प्रदित विचार किया है और उसे जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए जिससे कि उसकी उम्र निर्धारित हो पाए और बच्चे को एक सुरक्षात्मक घर में भेजा जाए, जब तक कि उसकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। सी.डब्ल्यू.सी. को सन्दर्भित करने से पहले बच्चे की चिकित्सा जरूरतों की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए।

बाल कल्याण समिति: बाल कल्याण समिति या "सी.डब्ल्यू.सी" एक वैधानिक निकाय है जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीडब्ल्यूसी का स्थापित होना आवश्यक है। सीडब्ल्यूसी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनमे से कम से कम एक महिला होनी चाहिए। बाल कल्याण के अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि उन्हे इन मामलों की पूरी जानकारी है। सीडब्ल्यूसी की शक्ति एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष है। सीडब्ल्यूसी एक विशेष निकाय है जिसे उन बच्चों को जिन्हे देखभाल और संरक्षण की जरूरत है के कल्याण का निर्धारण करने के लिए सृजित किया गया है। कोई भी सीडब्ल्यूसी के समक्ष एक बच्चे को पेश कर सकता है, जिसे "देखभाल और संरक्षण की जरूरत" है। जे.जे. अधिनियनम 2015 के पारित होने के बाद, सीडब्ल्यूसी ऐसे बच्चों जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, के मामलों में निर्णायक प्राधिकरण नही है। जे.जे. अधिनियनम की धारा 27 (10) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण है और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चे के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका दाखिल की जा सकती है, और उस पर वह विचार करके उचित आदेश पारित करेंगे।

मुक्ति पत्र को जारी करना: यदि डी.एम./ एस.डी.एम. को जांच के उपरांत यह पता लगता है कि यह मामला बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, तो वह व्यक्त करेगा कि एक जांच का आयोजन करने के उपरांत व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या में पहचान की गई है कि और उन व्यक्तियों को रिहा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। रिहाई के प्रमाण पत्र व्यक्तियों को उनके बयान के आधार पर दिया जाएगा।

जांच का आयोजन के दौरान निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें:

जांच की प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान किया जाए: गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को रिहा कराए गये लोगों को कुछ खाद्य और पेय पदार्थ तुरंत प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि उनके भूखे होने की संभावना है और जिससे उन्हे गवाही देने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चूँकि बयान लेने में कुछ घंटे का समय लग सकता है इसलिए उन्हे आगे भी पुष्टिकारक पदार्थ दिए जाएँ और सहज बनाएँ रखें, उन्हे आराम का जितना भी मौका संभव हो प्रदान किया जाए।

पीड़िता का साथ गरिमा के साथ व्यवहार करें[19]:

पीड़ित को न्याय की प्रक्रिया को प्राप्त करने का अधिकार है। गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को ये सुनिश्चित करना है की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई **पीड़ित के लिए अनुकूल** प्रक्रियाओं पर आधारित है या नही। पीड़ित को हमेशा महसूस करवाना चाहिए कि वह एक पीड़ित है और उसका उत्पीड़न नही किया जाना चाहिए। जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में पीड़ित को सूचित रखा जाना चाहिए और उसे हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान मदद और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अप्रसन्न ना हो, यदि पीड़ितों अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें चूँकि पीड़ित अभी अभिघात की स्थिति में हैं।

पीड़ित का सर्वोतम हित ही सर्वोपरि है: पीड़ितों को उन अपराधों के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर ना करें जिसे वे साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं । पीड़ित को एक प्रशिक्षित काउंसलर के द्वारा परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। पीड़ित को उसकी भाषा में अपने बयान देने में सक्षम करने के लिए अनुवादकों का प्रयोग करें।

गलत जानकारी को दर्ज करने से सावधान रहें: इस बात की संभावना है की पीड़ित जो अभी खतरे का सामना कर रहा है वह इस स्तर पर गलत जानकारी दे दे। गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए हुए बंधुआ मजदूरों के बयान तभी दर्ज किया जाए जबकि पीड़ित बयान देने की स्थिति के लिए सहमत और स्वस्थ चित्त हो। गैर सरकारी संस्थान को पीड़ित को तुरंत बताना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है और किसी भी आशंका / संदेहों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों का कथन दर्ज करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण: गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को सरकार के अधिकारियों द्वारा बयानों की रिकॉर्डिंग में भाग लेने के लिए अक्सर संपर्क किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जांच में प्रशिक्षित किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गैर-सरकारी संगठन के उन प्रतिनिधियों को बचाव के लिए भेजा जाए जो पीड़ित की भाषा से परिचित हैं।

पूछे जा रहे सवाल का अनुश्रवण: अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान पूछे जाने वालों सवालों पे निगरानी रखनी चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूछे जा रहे सवाल निष्पक्ष हैं, सवाल संवेदनशीलता के साथ पूछे जा रहे हैं, जवाब ठीक से दर्ज हो रहे हैं और जांच तुरंत पूरी हो रही है। गैर सरकारी संघठन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन शोषण, उत्पीड़न या बच्चों के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दौरान विशेष प्रक्रियाओं और विशेष संवेदनशीलता का पालन किया जाए।

जांच मालिकों से दूर रहकर पूरा किया जाना चाहिए: अधिवक्ता यह सुनिश्चित करना चाहिए की पूर्ण जांच को एक सुरक्षित स्थान पर मालिकों से दूर रखकर पूरी की जा रही है।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाव या छापे के दौरान घटना स्थल पर जांच का उद्देश्य: बंधुआ मुक्ति मोर्चा[20] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकथित किया है कि इस जांच का उद्देश्य बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें अपने कर्ज से मुक्ति दिलाना और उन्हे पुनर्वास के लिए रास्ते पर स्थापित करना है। एक अधिवक्ता को ये सुनिश्चित करना है कि जांच महज एक औपचारिक परीक्षण के रूप में ना आयोजित किया जाए बल्कि बंधुआ मजदूरों की कारगर पहचान की जाए।

प्रमुख जांच रणनीतियाँ जिनके बारे में एक अधिवक्ता को जानकारी होनी चाहिए: सर्वप्रथम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रत्येक मजदूर से पूछा जाना चाहिए कि i) क्या आपने कोई अग्रिम प्राप्त किया था? ii) क्या आप उस सुविधा-केंद्र को छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे? iii) क्या आप अन्य काम की तलाश करने के लिए स्वतंत्र थे? iv) आपको कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है?; दूसरे ऐसे सवाल जिसका जवाब असीमित हो वो पूछें (उदाहरण के लिए, आप कैसे इस जगह पर काम करने के लिए आए थे?) तीसरा, ऐसे सवालों को जहाँ तक संभव हो टालने का प्रयास करें जिनका जबाब सीमित हों (जिसका जबाब हाँ या ना हो) जब तक कि कोई विशिष्ट मुद्दे को स्पष्ट ना कर दिया जाए।

जांच को हमेशा कथित अपराधियों या सुविधा-केंद्र के प्रबंधकों की उन्पस्थिति में ही आयोजित किया जाना चाहिए: फिर से ऊपर के मामले में[21], सुप्रीम कोर्ट ने अधिकथित किया है कि जब बंधुआ मजदूरों को किसी जांच में साक्षात्कार किया जा रहा है तो उस समय सुविधा-केंद्र के मालिकों को उपस्थित नही रहना चाहिए। कोर्ट ने और आगे भी अभिकथन किया है कि इस प्रकार के मजदूर को उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए।

---

[19] पीड़ितों के साथ काम करने पर कदम, यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रिया, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पृष्ठ 16 को देखें

[20] एईआर 1984 एससी 802, पैरा 34

[21] एईआर 1984 एससी 802, पैरा 37

अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया है कि पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निम्न उपायों को रखा जाए:

- पीड़ितों के साथ करुणा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय-तंत्र का उपयोग करने के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)
- पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान समुचित सहायता प्रदान किया जाना चाहिए (सिद्धांत 6 (c))
- ऐसे उपाय आवश्यक रूप से किए जाएँ जिससे पीड़ित को कम से कम असुविधा हो और उनकी निजता को संरक्षित किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उनके साथ-साथ उनके परिवारों और उनकी ओर से गवाहों को भी धमकी और प्रतिशोध से सुरक्षा मिले (सिद्धांत 6 (d))
- पीड़ितों को मुआवजे के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए (सिद्धांत 12 (a))
- पीड़ितों के हित में मामलों को निपटने में और आदेशों के निष्पादन में अनावश्यक देरी करने से बचना चाहिए। (सिद्धांत 6 (e))

नमूना दस्तावेज़ और जांच सवालों की सूची के लिए अभ्यास सहायता: बंधुआ मजदूर की पहचान के लिए सवालों की एक सँस्तुत सूची प्रारूप में परिशिष्ट 7 में प्रदान की जाती है।

चरण 1.9 बंधुआ मजदूरों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना	
समयसीमा: बंधुआ मजदूरों को बचाव करने के दिन / 24 घंटे में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरों को अपना सामान इकट्ठा करने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूरों की रक्षा खतरों और अपराधियों के उत्पीड़न से करने के लिए एक संरक्षण आदेश दर्ज करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरों को, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद, बचाव साइट से जल्द से जल्द हटा दिया जाय। पीड़ितों को इस प्रकार के किसी **सुरक्षित स्थान** पर ले जाया जाना चाहिए: • कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यालय, • सरकारी स्कूलों, • सामुदायिक भवन, आदि ऐसे घटना में जहां छुड़ाए गये पीड़ितों को किसी अन्य स्थान में नहीं ले जाया जा सकता है जैसे कि जब मजदूर अपने कार्यस्थल छोड़ना नहीं चाहता और एक ही मालिक के पास काम करना चाहता है और या जब मजदूर गांव में ही रह रहे हों (कृषि श्रमिकों के मामले में) तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पीड़ितों की रक्षा के लिए साइट पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था हैं।	अगर घटना में बचाए गये पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो अधिवक्ता को एक संरक्षण आदेश को प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि बंधुआ मजदूरी में बचाव के मामले में, मजदूरों को उनके नियोक्ता द्वारा प्रदप्त की गई झोपड़ी या कृषि फार्म में रहते हैं। ऐसे मामलों में, अधिवक्ता को पुलिस से संपर्क करके सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को उसके मालिक (जो कि आसपास ही रहते हैं) के डराने धमकाने और आतंक से रोकने के लिए कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को प्रदान करना चाहिए। अगर मुक्त कराए गये पीड़ित अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में भय व्यक्त करे तो अधिवक्ता को एक उत्पीड़न संरक्षण पत्र को दर्ज करना चाहिए। पीड़ितों की सभी आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए और तुरंत आवश्यक कार्यवही करनी चाहिए।
विचारणीय बिंदु	
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना: अगर मामले में बंधुआ मजदूर एक बच्चा है, तो यह सुनिश्चित करें कि बच्चा अपने माता-पिता से अलग न हो। **सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें:** बचाव मौके परसभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जिन मामलों में शिकायत से ये पता चलता है कि आरोपी का हिंसक उत्पीड़न का इतिहास है वहाँ विशेष ध्यान रखना चाहिए।	
अधिक जानें और कार्रवाई करें	
बेदखली के खिलाफ संरक्षण: बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 19 मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों को बेदखली करने से सुरक्षा प्रदान करता है। **उत्पीड़न संरक्षण पत्र**: मुक्ति के दिन या तो पीड़ित द्वारा या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, हर पीड़ित के क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन में एक सुरक्षा पत्र या ज्ञापन दायर किया जा सकता है जिससे कि उसकी अपराधियों से निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पत्र का एक नमूना परिशिष्ट 9 में देखा जा सकता है।	

चरण 1.10 बंधुआ श्रम मुक्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति	
समयसीमा: रिहा हो चुके मजदूरों के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है.	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एस.डी.एम. या उनके मातहत नामित अधिकारी को एक आवेदन देते हुए बंधुआ मजदूर की रिहाई के प्रमाण पत्र को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करना चाहिए।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के साथ एस.डी.एम. के कार्यालय जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्ति प्रमाण पत्र कानूनी रूप से तुरंत सभी बंधुआ मजदूरों को जारी हुआ है।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए करे कि: • एस.डी.एम. को लिखित रूप से एक अनुरोध करे कि रिहाई ऑर्डर पारित कर रिहाई प्रमाण पत्र जारी करें। • बचाव के तुरंत बाद प्रत्येक बचाए गये बंधुआ मजदूर को उप मंडल मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित अधिकारी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। • रिहाई आदेश एस.डी.एम. द्वारा पारित किया जाता है। • रिहाई आदेश में प्रत्येक मजदूर व्यक्ति के नाम दर्ज हो और वह यह घोषणा करे कि वे बंधुआ मजदूरी से आधिकारिक तौर पर मुक्त हो गये है। अगर एसडी.एम. अनिच्छुक है तो प्रतिनिधि डी.एम. से आग्रह कर सकते हैं। यदि इससे भी कार्य नहीं होता है तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों से कारण पूछने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर कर सकता है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर ऊपर दिए गये सभी प्रयास विफल रहतें हैं तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करें।	अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के रिहाई आदेश और प्रमाण पत्र हासिल करें। यदि डी.एम. रिहाई प्रमाण पत्र देने और मुक्ति आदेश पारित करने की प्राथना को नही स्वीकारता है, तब अधिवक्ता को आर.टी.आई. आवेदन दायर करके इस तरह के इनकार के कारणों को पूछना चाहिए। अधिवक्ता मसौदा तैयार कर लिखित शिकायत और रिट याचिका भी दायर करे और उचित मंचों के समक्ष आवेदन पत्र दर्ज करे। अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सलाह देने और मुक्ति ऑर्डर / प्रमाण पत्र हासिल करने में सहायता करें। रिहाई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के आवेदन के लिए अधिवक्ता को ड्राफ्ट के साथ तैयार रहना चाहिए। रिहाई के प्रमाण पत्र को एक प्रारूप को भी सन्दर्भीत कर लें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक जानकारी हासिल कर ली गई है।

विचारणीय बिंदु

विमुक्ति आदेश कब प्रदान किए जाते हैं?

जाँच पूरी होते ही यह कदम अपना लिया जाता है। अगर साइट पर जांच पूरी हो गई है, तो प्रमाण पत्र साइट पर ही दिए जाते हैं, लेकिन जब जांचकार्य साइट से बाहर पूरा हो गया है, तो विमुक्ति आदेश साईट से बाहर प्रदान किए जाते हैं (अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें चरण 1.8 के तहत विचार करने के लिए मुद्दे)। रिहाई प्रमाण पत्र जारी ना करने की स्थिति में गैर सरकारी संगठन हस्तक्षेप कर सकते हैं।

रिलीज सर्टिफिकेट कब जारी किया जाना चाहिए?

सी.एस.एस. स्कीम में 23.06.2017 को हुए संशोधन के अनुसार, रिलीज़ सर्टिफिकेट होंगे बचाव-कार्य के तुरंत बाद ही जारी किये जाने चाहिए। हालाँकि, इस बात का ध्यान रहे कि 17.5.2016 को 'बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ("सीएसएस बीएल 2016" के रूप में संदर्भित) रिलीज सर्टिफिकेट जारी किए जाने के समय पर कुछ भ्रम था क्यूंकि 2016 स्कीम में रिलीज़ सर्टिफिकेट के लिए मॉडल फॉर्म में सजा की तारीख अंकित करने हेतु प्रविष्टि शामिल था जो कि प्रथम दृष्टया यह सुझाव देती थी कि अपराधियों की सजा के बाद ही पीड़ितों को रिलीज सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। हालांकि, श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE), भारत सरकार ने सी.एस.एस. बी.एल. 2016 में इस त्रुटि को ठीक किया और 23.06.2017 को सीएल बीएल 2016 में संशोधन किया गया जिसे ("CSS BL 2016, 23.6.2017 तक संशोधित" के रूप में संदर्भित) जिसके तहत S.No. 16 से 19 की प्रविष्टियों जो सजा मिलने की तारीख एवं विमुक्ति आर्डर का जिक्र था, विमुक्ति प्रमाण पात्र के मॉडल फॉर्म से निरस्त किया गया और अब सज़ा की कार्यवाही के समापन से पहले ही पीड़ितों को विमुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने को आश्वस्त किया गया। 23.6.2017 में संशोधन के अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय विलेख कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17-08-2017 के द्वारा "बंधुआ मजदूर की पहचान और बचाव एवं अभियुक्त के अभियोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" को जारी किया गया और उक्त एस.ओ.पी. के पैरा 3.4 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि डीएम या एसडीएम बचाव के 24 घंटे के भीतर पीड़ित बंधुआ मजदूरों को विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उपरोक्त के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश- *संथाल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य और अन्य* के निर्णय और एनएचआरसी दिशानिर्देश के आलोक में

यह व्याख्या की जा सकती है कि जांच पूरी होते ही प्रशासन रिलीज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य है।

अंतरराज्यीय मुक्ति प्रमाण पत्र: एक अंतरराज्यीय बचाव में मुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। बी.एल. अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह जिला मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व है कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर घटित होने वाली बंधुआ मजदूर प्रणाली के अस्तित्व में वह पूछताछ के मकसद से जाँच और कार्रवाई करके ऐसे बेगार की प्रथा को उन्मूलित करे। इसलिए, धारा 12 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट उन प्रवासी मजदूरों को मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं, जो बंधुआ मजदूर उसके अधिकार क्षेत्र की प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत पाया गया हो।

स्वतंत्रता भाषण: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सरकारी अधिकारी एक ऐसा स्वतंत्रता संबंधित भाषण दे जिससे की मुक्त कराए गये व्यक्तियों को बताया जा सके की उनको दासता से मुक्ति दिलाई जा चुकी है, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और इस बात को समझाया जाए कि उन्हे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसे सहेज कर रखना है।

अंतरिम मुआवजा: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्ति ऑर्डर उपयुक्त अधिकारियों को रुपए 1000 की अंतरिम राहत सहायता प्रत्येक बंधुआ श्रम पीड़ित को जारी करने के लिए निर्देशित करे।

प्रशासन के आगे की ज़िम्मेदारियाँ: गैर सरकारी संगठन/ अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन शोषण की जगह से सभी मजदूरों को निकाले, उनकी परिवहन, भोजन, पीने के पानी, ट्रेन/ बस किराया, अनुरक्षण करे और बचाए गये लोगों को सुरक्षित रूप से उनके मूल के स्थानों पर भेजने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

मुक्ति प्रमाण पत्र और अंतरिम मुआवजा के प्रावधान को सुनिश्चित करना: ***संथाल परगना अंत्योदय आश्रम Vs. बिहार राज्य***[22] में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्त किया है कि मुक्ति प्रमाण पत्र बंधुआ मजदूर को 'उनकी मुक्ति के साथ साथ' ही दे दिया जाना चाहिए। मामला आगे दर्शाता है कि उपयुक्त अधिकारियों को मुक्ति आदेश के द्वारा निर्देशित करना चाहिए कि वे रुपये 1000/- की अंतरिम राहत प्रत्येक बंधुआ मजदूर पीड़ित को प्रदान करे।

नमूना दस्तावेजों और मुक्ति प्रमाण पत्र पर अभ्यास मदद: रिलीज़ प्रमाण पत्र को प्रदान करने के लिए लिखित प्रतिनिधित्व का एक नमूना परिशिष्ट 15 में पाया जा सकता है एक। विज्ञप्ति प्रमाण पत्र का एक नमूना प्रारूप परिशिष्ट 16 में प्रदान किया जाता है।

[22] [1987 (1) स्केल 679]